न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 152/1984
देवी प्रसाद बनाम रामआसरे

21.08.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 248क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 248क2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा वादिनी सं0 1/3 श्रीमती राधेश्याम देवी की मृत्यु दिनांक 15.04.2018 को हो गई है। मृतका के विधिक वारिस उनके पुत्रगण ध्रुवचन्द्र एवं सुभाषचन्द्र हैं, जो पहले से पक्षकार मुकदमा हैं। ऐसी स्थिति में मृतका के बाबत वादपत्र में संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज सं0 250ग2 दाखिल करते हुए प्रार्थनापत्र को निरस्त होने योग्य बताया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 248क2 वादिनी सं0 1/3 श्रीमती राधेश्याम देवी की मृत्यु दिनांक 15.04.2018 को होने के फलस्वरूप कार्यवाही वरासत किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है एवं अन्दरमियाद है। मृतका के विधिक वारिस पहले से पक्षकार मुकदमा हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 248क2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 248क2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/साक्ष्य वादी दिनांक 28.08.2018 को पेश हो।

.

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती